सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

से**न्ट्र**ल बैंक ऑफ इंडिया

की विभिन्न शाखाओं **व** कार्यालयों के

विद्युत सुरक्षा **एवं** ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए

विद्युत सुरक्षा लेखा परीक्षक **हेतु**

अखिल भारतीय वार्षिक दर अनुबंध के लिए

**ई-निविदा**

निविदा संदर्भ संख्या: - CO/BSD/ELECT-ESA/UPS/2025-26/173

जमा करने की अंतिम तिथि: 19.09.2025

विषयसूची

* निविदा आमंत्रण सूचना
* बोलीदाता के लिए निर्देश
* पात्रता मापदंड
* निविदा के नियम और शर्तें
* कार्य**क्षेत्र** और सेवा स्तर समझौता
* निविदा की सामान्य शर्तें
* निविदा मूल्यांकन पद्धति
* तकनीकी निर्देश
* आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची
* विक्रेता द्वारा दी जाने वाली जानकारी
* वस्तुओं की आवश्यकता की अनुसूची
* निविदा प्रस्ताव कवर पत्र
* निर्माता का प्राधिकरण प्रपत्र (MAF)
* ट्रैक रिकॉर्ड का विवरण (**पूर्व में इंस्टॉल किए गए)**
* सेवा केंद्रों का विवरण
* सामग्री का बिल (केवल बोली **का** मूल्य)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

विषय :-

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं और कार्यालयों के लिए विद्युत सुरक्षा और ऊर्जा लेखा परीक्षा (ईएसए) **हेतु** विद्युत सुरक्षा लेखा परीक्षकों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक (2025-26) दर अनुबंध **हेतु** ई-निविदा

महोदय,

**सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया, **अंचलों** और क्षेत्रों (विवरण संलग्न) के प्रशासनिक कार्यालयों के अंतर्गत स्थित अपने विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं के ईएसए हेतु अखिल भारतीय दर अनुबंध पर, योग्य विक्रेताओं (पूर्व-योग्यता मानदंडों के अनुसार) से तकनीकी और वाणिज्यिक **सीलबंद** **ई-टेंडर** प्रस्ताव आमंत्रित करता है। विक्रेता केवल पसंदीदा **अंचल** के लिए आवेदन करें। बैंक प्रत्येक **अंचल** में लेखा परीक्षकों (कम से कम 2) का एक पैनल रखना चाहता है।

ई-निविदा दस्तावेज इस ई-निविदा प्रपत्र में संलग्न है तथा आगे का विवरण नीचे दिया गया है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र. सं. | विशिष्ट | विवरण |
| 1. | ई-निविदा संदर्भ संख्या | CO/BSD/ELECT-ESA/2025-26 |
| 2. | ग्राहक | **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया  बीएसडी, 16 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय,  **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया,  चंदर मुखी बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट,  मुंबई – 400 021  **दूरभाष**:- (022) 66387564 |
| 3. | संपर्क | **सहायक महाप्रबंधक**-इलेक्ट्रिकल, बीएसडी, **केका** |
| 4. | का**र्यक्षेत्र** | ईएसए |
| 5. | कार्यक्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र | **अंचलों** **एवं** क्षेत्रों के प्रशासनिक कार्यालयों के अंतर्गत स्थित बैंक शाखाएँ और कार्यालय |
| 6. | समापन अवधि | आदेश जारी होने की तिथि से 2 सप्ताह / 14 दिन (छुट्टियों सहित) |
| 7. | दोष दायित्व अवधि/वारंटी | ऑडिट की तारीख से 12 **माह** |
| 8. | एनआईटी जारी होने की तिथि | 11.08.2025 |
| 9. | ई-मेल agmelectrical@centralbank.co.in पर प्रश्न/स्पष्टीकरण (यदि कोई हो) मांगने की अंतिम तिथि | 20.08.2025 |
| 10. | बोली-पूर्व बैठक | 22.08.2025 |
| 11। | बोली-पूर्व बैठक का पता | 16 वीं मंजिल चंद**र**मुखी |
| 12. | ई-निविदा दस्तावेज़ उपलब्धता | बैंक की आधिकारिक वेबसाइट [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) और एबीसी ई प्रोक्योर पर |
| 13. | ई-निविदा शुल्क (वापसी योग्य नहीं) | रु.1,000/- बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराया गया है। |
| 14. | ई-निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय | 19.09.2025 अपराह्न 3 बजे तक |
| 15. | तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय | बाद में सूचित किया जाएगा |
| 16. | वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि और समय | बाद में सूचित किया जाएगा |
| 17. | ई-निविदा अपलोड करने का पता | निविदा में एबीसी ई खरीद विवरण प्रदान किया गया |
| 18. | संचार के लिए पता | सहायक महाप्रबंधक - **इलेक्ट्रिकल**,  16 वीं मंजिल चंद**र**मुखी  नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021.  फ़ोन: 022-26713640/66387564/7045445080 |

**बोलीदाताओं के लिए निर्देश**

जो निविदाएं**,** निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित उपरोक्त सभी या किसी भी शर्त को पूरा नहीं करती हैं या किसी भी मामले में अपूर्ण हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

निविदा दस्तावेजों में किसी भी विसंगति, चूक, अस्पष्टता या उनके अर्थ में किसी भी संदेह को लिखित रूप में सहायक महाप्रबंधक-**इलेक्ट्रिकल** के कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए, जो प्रश्नों की समीक्षा करेंगे और सभी निविदाकर्ताओं को स्पष्टीकरण जारी करेंगे, जो अनुबंध दस्तावेजों का **भाग** बन जाएगा।

निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निविदाएं प्रस्तुत करने से पहले कार्य की स्थितियों/क्षेत्रों से परिचित हो जाएं।

बैंक कार्य को खंडवार और मदवार विभाजित और वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कृपया निविदाकर्ता इस बात का ध्यान रखें। ऐसे मामलों में, कार्य आवंटन सहित, निर्णय पूरी तरह से बैंक के विवेक पर होगा। निविदाकर्ताओं को **निर्देश दिया जाता** है कि वे इस निविदा के व्यावसायिक पहलू और निम्नलिखित बिंदुओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें: -

कार्य प्रारंभ करने की तिथि : कार्य सौंपे जाने के तुरंत बाद

पूरा होने का समय : -

1. आशय पत्र / क्रय आदेश जारी होने की **तिथि** से 90 दिन, (**अवकाश** सहित) **उस पूरे अंचल का** जिसके लिए एजेंसी अनुमोदित पैनल पर है।
2. सेवाओं या कार्यों में किसी भी अनुशासन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं के साथ समन्वय का दायित्व निविदाकर्ता **का** होगा।
3. कृपया ध्यान दें कि निविदा दस्तावेजों में शामिल सभी दस्तावेजों पर निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए।
4. मात्रा बिल या रेखाचित्र (यदि कोई हो) का कोई भी भाग हटाया नहीं जाना चाहिए।
5. प्रस्ताव की वैधता अवधि : निविदा मूल्य बोली खुलने की तिथि से 180 दिनों तक स्वीकृति के लिए खुली रहेगी तथा एक बार अनुबंध दिए जाने के बाद उसकी सम्पूर्ण अवधि के लिए।
6. परिसमापन हर्जाना: प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिए अनुबंध/बिल राशि का 0.5% (शून्य दशमलव पांच) या अनुबंध/बिल राशि का अधिकतम 10% ।
7. दोष दायित्व अवधि : बैंक द्वारा प्रमाणित ऑडिट की तिथि से 12 महीने की वारंटी । सफल निविदाकर्ता, बैंक से निविदा स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के अगले 10 दिनों के भीतर मानक प्रारूप के अनुसार बैंक के साथ एक समझौता करेंगे।
8. निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियम एवं शर्तें तथा विभिन्न प्रारूप एवं प्रो**फॉ**र्मा निविदा दस्तावेज एवं उसके अनुलग्नकों में वर्णित हैं।

हमें आशा है कि आप निविदा में सकारात्मक रूप से भाग लेंगे और अपना सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

धन्यवाद,

**सहायक महाप्रबंधक** -इलेक्ट्रिकल

बीएसडी **केका** नरीमन पॉइंट

मुंबई

आवेदन **फॉ**र्म

(कृपया जो लागू न हो उसे काट दें)

1. बोली**कर्ता** का नाम
2. आवेदक का पसंदीदा **अंचल** में पूरा डाक पता (प्रमाण पत्र A-1 के साथ संलग्न होना चाहिए)
3. सम्पर्क विवरण :

फ़ोन नंबर

मोबाइल नंबर

ईमेल आईडी

1. स्थापना वर्ष (प्रमाण संलग्न A-2)
2. फर्म की स्थिति क्या कंपनी/फर्म/स्वामित्व वाली है (प्रमाण संलग्न 3)
3. स्वामी /भागीदारों/निदेशकों/**फर्म** का नाम तथा योग्यता।
4. बैंकर का विवरण

बैंकर का नाम:

पूरा डाक पता:

टेलीफ़ोन नंबर:

खाता **संख्या**:

खाते का प्रकार :

1. पैनल**बद्धीकरण**

यदि आप अन्य संगठनों/सांविधिक निकायों जैसे सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, एमईएस, बैंक आदि में विद्युत सुरक्षा लेखा परीक्षक के रूप में पंजीकृत/पैनलबद्ध हैं, तो उनके नाम, श्रेणी और पंजीकरण की तिथि बताएं। (प्रमाण संलग्न 4)

1. पैन और जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र (प्रमाण संलग्न 5)
2. पिछले 3 वर्षों का वार्षिक कारोबार (प्रमाण संलग्न 6)
3. **आवेदक द्वारा पीएसयू/बैंक/सरकारी संगठनों/प्रतिष्ठित निजी कंपनियों के लिए पिछले 5 वर्षों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार** किए गए समान कार्यों का विस्तृत विवरण। संगठन का नाम, किए गए कार्य का मूल्य और कार्य समाप्ति की तिथि जैसे विवरण, कार्य आदेशों और पूर्णता प्रमाणपत्रों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। (प्रमाण संलग्न 7)
4. **बीईई (ऊर्जा क्षमता ब्यूरो) का नाम,** भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्युत ऊर्जा या सुरक्षा लेखा परीक्षकों (प्रत्येक लेखा परीक्षक के लिए मान्यता की प्रति संलग्न है)

पात्रता मा**न**दंड

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | पात्रता मानदंड | आवश्यक दस्तावेज़ |
| 1 | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक के साथ 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।  विद्युत स्थापना और सुरक्षा ऑडिट या सुरक्षा संबंधी कार्यों में अनुभव।  या  संबंधित लाइसेंसिंग से विद्युत पर्यवेक्षण लाइसेंस होना चाहिए  राज्य या केंद्र सरकार के प्राधिकार में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव  विद्युत स्थापना और सुरक्षा संबंधी कार्यों में अनुभव। | इस संबंध में दस्तावेज प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए। |
| 2 | बीईई मान्यता प्राप्त विद्युत ऊर्जा/सुरक्षा लेखा परीक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। | प्रमाण/प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा |
| 3 | विक्रेता का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार पिछले 3 वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25) में ईएसए (माल की बिक्री नहीं) में 30 लाख रुपये होगा। | इस संबंध में संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और पी एंड एल खाते की प्रति प्रस्तुत की जाए। |
| 4 | विक्रेता को ईएसए के लिए 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों/सरकारी संगठनों/बड़े निजी बैंकों/संगठनों के पैनल पर होना चाहिए। |  |
| 5 | विक्रेता को अपने पसंदीदा क्षेत्र में ईएसए के लिए पीएसयू/निजी बैंक या भारत सरकार के विभागों/निजी संगठनों के साथ कम से कम एक दर अनुबंध निष्पादित **किया होना चाहिए**। | इस संबंध में दस्तावेज प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए। |
| 6 | विक्रेता को 3 वर्ष से अधिक समय से व्यवसाय में होना चाहिए। | इस संबंध में दस्तावेज प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए। |
| 7 | विक्रेता को सभी **आंचलिक** कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में उपस्थिति (कार्यालय/फ्रेंचाइजी) रखनी होगी, जो **आंचलिक** कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों की संलग्न सूची और उनके कार्यालयों/फ्रेंचाइजी के मानचित्र के अनुसार उनकी पसंद के अनुसार चिह्नित की गई हो। | इस संबंध में संपर्क व्यक्तियों के पते संलग्न प्रारूप के अनुसार संलग्न किए जाएं। |

**घोषणा :**

1. मेरे/हमारे द्वारा ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
2. यदि संलग्न पत्रकों/अनुलग्नकों में मेरे/हमारे द्वारा सूचीबद्ध कार्य के बारे में पूछताछ की जाती है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं है।
3. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि विद्युत सुरक्षा लेखा परीक्षकों के चयन में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।
4. मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करता**/करते हैं** कि हमारी फर्म/एजेंसी/कंपनी को आवेदन की तिथि से पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी भी **सरकारी**, अर्ध-सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों द्वारा अयोग्य/वर्जित/काली सूची में नहीं डाला गया है।

ईएसए/ठेकेदार के हस्ताक्षर स्थान :

मुहर सहित दिनांक :

I. **उद्देश्य**

विद्युत सुरक्षा जाँच का उद्देश्य **विद्यमान** विद्युत प्रतिष्ठानों की स्थिति की समीक्षा करना और विद्युत/अग्नि खतरों को समाप्त/कम करने तथा कर्मियों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए प्रणाली को और **अधिक** सुदृढ़ बनाने हेतु उपायों की सिफ़ारिश करना है। लेखापरीक्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित होगी:

1. संभावित विद्युत/अग्नि खतरों की पहचान करना**।**
2. सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करके कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना।
3. विद्युत स्थापना के संचालन और रखरखाव को सुचारू बनाना।
4. सम्पत्ति, मानव जीवन और महंगे उपकरणों की हानि से बचना।
5. प्रासंगिक संहिताओं और प्रथाओं, वैधानिक नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
6. विद्युत स्थापना में सुरक्षित कार्य करने की **कार्यपद्धति** और प्रक्रिया स्थापित करना।

II. **निर्देश**

1. संबंधित शाखाओं/कार्यालयों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरबीओ) को विद्युत सुरक्षा **लेखापरीक्षा** रिपोर्ट (अनुलग्नक I और II के अनुसार) की हार्ड कॉपी और स्थानीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महाराष्ट्र में विद्युत सुरक्षा **लेखापरीक्षा** रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी जमा करने के बाद ही कार्य पूर्ण माना जाएगा। संबंधित विद्युत सुरक्षा लेखा परीक्षकों को निर्धारित समयावधि के भीतर विद्युत सुरक्षा **लेखापरीक्षा** रिपोर्ट बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
2. विद्युत सुरक्षा **लेखापरीक्षा** कराने के लिए आवेदक द्वारा उद्धृत शुल्क में विद्युत सुरक्षा **लेखापरीक्षा** के संतोषजनक संचालन के लिए परिवहन, आवास और उनके स्वयं के प्रतिनिधियों के टीए/डीए सहित सभी खर्च शामिल होने चाहिए और बैंक इस संबंध में किसी भी अतिरिक्त दावे पर विचार नहीं करेगा।
3. सुरक्षा लेखा परीक्षक को शाखा/कार्यालय का लेखा-परीक्षण करने के लिए संबंधित शाखा प्रबंधक और आर.बी.ओ. से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
4. सुरक्षा लेखा परीक्षक को शाखा का लेखा-परीक्षण करने के लिए डेटा (बिजली बिल की प्रति, उपकरणों का एएमसी विवरण, वैधानिक एजेंसियों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट आदि), सामना की गई समस्याओं/मुद्दों आदि को प्राप्त करने के लिए संबंधित शाखा प्रबंधक/प्रभारी के साथ बातचीत करनी चाहिए।
5. विद्युत सुरक्षा **लेखापरीक्षा** की अवधि छोटी शाखाओं के लिए न्यूनतम 2 घंटे, मध्यम आकार की शाखाओं के लिए 3 घंटे, मुख्य/बड़े आकार की शाखाओं के लिए 4 घंटे तथा 3 से अधिक मुख्य कार्यालयों/शाखाओं और 3 से अधिक मंजिलों वाली बहुमंजिला इमारतों के लिए न्यूनतम 8 घंटे होनी चाहिए।
6. सुरक्षा **लेखापरीक्षा** करते समय, विद्युत सुरक्षा **लेखापरीक्षकों** और उनके साथ आए व्यक्ति/व्यक्तियों को आत्म-सुरक्षा और **लेखापरीक्षा** के सुरक्षित संचालन के लिए सभी मानक सुरक्षा सावधानियाँ जैसे सुरक्षा जूते, सुरक्षा दस्ताने, उचित उपकरण और टैकल आदि का उपयोग करना चाहिए। **लेखापरीक्षक**/**लेखापरीक्षकों** की लापरवाही और सुरक्षा सावधानियों का पालन न करने के कारण हुई किसी भी विद्युत या अन्य दुर्घटना के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा।
7. सुरक्षा लेखा परीक्षक, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और संबंधित आरबीओ के पी एंड ई विभाग को साप्ताहिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कार्य सभी पहलुओं से निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाना चाहिए ।
8. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अनुलग्नक-I और II के अनुसार सभी जुड़े उपकरणों का विवरण, शाखा परिसर का लेआउट ड्राइंग (स्केल के अनुसार नहीं) शामिल होना चाहिए, जिसमें बीएम केबिन, बैंकिंग हॉल, यूपीएस रूम, लॉकर रूम, स्ट्रांग रूम, डाइनिंग हॉल आदि जैसे क्षेत्रों का विभाजन दिखाया गया हो, साथ ही प्रमुख विद्युत उपकरणों, एमएसबी, डीबी, यूपीएस, एटीएम आदि का स्थान, **विद्यमान** विद्युत प्रणाली का सिंगल लाइन डायग्राम (एसएलडी) (ऊर्जा मीटर से लेकर उप डीबी जैसे एलडीबी, पीडीबी आदि तक) और गंभीर दोषों की स्थिति, जिन पर तुरंत ध्यान देने / सुधार की आवश्यकता है, को एसएलडी में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।
9. शाखाओं/कार्यालयों और संबद्ध एटीएम की **विद्यमान** विद्युत प्रणाली का निरीक्षण/सिफारिश रिपोर्ट, जिसमें आपकी टिप्पणियां और **अवलोकन** शामिल हों।
10. शाखा/कार्यालय/एटीएम के पिछले तीन महीने के बिजली बिल की फोटो कॉपी प्राप्त करना तथा उसे अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना, जिसमें किसी भी विसंगति को चिह्नित करना शामिल हो।
11. सुरक्षा लेखा परीक्षक को संलग्नक-I और अनुबंध-II के रूप में संलग्न "विद्युत लेखा परीक्षा का प्रो**फॉ**र्मा" विधिवत रूप से पूरा करके और लेखा परीक्षक तथा संबंधित शाखा प्रबंधक/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करना होगा।
12. सुरक्षा लेखा परीक्षक को कार्य आदेश जारी होने के बाद दी गई समयावधि के भीतर एक्सेल प्रारूप में आवश्यक डेटा के साथ अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें सभी उपकरण विवरण, जोखिम श्रेणियों पर प्रकाश डालना, रिपोर्ट की सॉफ्टकॉपी आदि शामिल होंगे।
13. सुरक्षा लेखा परीक्षक को भू-प्रतिरोध की, टर्मिनलों में किसी भी ढीले कनेक्शन/अति तापन की, सुरक्षात्मक उपकरणों की उचित रेटिंग की, सभी वितरण बोर्डों की जांच करनी होती है।
14. सुरक्षा लेखा परीक्षक को शाखा में जुड़े सभी विद्युत प्रतिष्ठानों / यूपीएस / डीजी सेट / एसी (पारंपरिक / इन्वर्टर / वीआरएफ / डक्टेबल) / लाइट्स (सीएफएल / एलईडी) / एपीएफसी पैनल का विवरण जांचना और प्रस्तुत करना होगा।
15. लेखा परीक्षक ने यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है कि उन्हें आवंटित सभी शाखाओं/कार्यालयों की विद्युत लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर अपलोड की जाए।
16. निरीक्षण के समय शाखा में हस्तलिखित रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी तथा शाखा प्रबंधक से हस्ताक्षर एवं मुहर सहित पावती प्राप्त की जाएगी।

**III. विद्युत** **अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए कार्य**क्षेत्र

1. लागू भारतीय मानकों, भारतीय विद्युत नियमों और अन्य प्रासंगिक आचार संहिताओं के संदर्भ में शाखाओं/कार्यालयों और संलग्न एटीएम का भौतिक निरीक्षण करना और विद्युत अग्नि खतरों (झटके, आग आदि) की पहचान करना। यह सुनिश्चित करना कि परिसर छोड़ते समय कार्यालय/शाखा बंद होने से पहले मुख्य आपूर्ति बंद करने के लिए शाखा/कार्यालय में स्विच उपलब्ध हो (यूपीएस को छोड़कर), यदि उपलब्ध न हो तो उसे उपलब्ध कराया जाए।
2. शाखा/कार्यालय में वास्तविक विद्युत संयोजित भार की गणना करना तथा यदि यह डिस्कॉम द्वारा स्वीकृत भार से कम है तो रिपोर्ट करना।
3. क्या एपीएफसी पैनल कार्यशील स्थिति में हैं और आवश्यक सीमा के भीतर पावर फैक्टर बनाए रख रहे हैं।
4. क्या बिजली बिल में अधिक संयोजित भार या खराब पावर फैक्टर के कारण जुर्माना लगाया जाता है, यदि हां, तो रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
5. क्या शाखा/कार्यालय के लिए एपीएफसी पैनल स्थापित करने की आवश्यकता है, यदि स्थापित नहीं है।
6. विद्युत स्थापना के एलबीएस/एसीबी/एमसीसीबी/एमसीबी/ईएलसीबी प्रणाली जैसे सुरक्षा उपकरणों की समीक्षा और क्या प्रदर्शन संतोषजनक है या नहीं, वास्तविक लोड वर्तमान माप, इन्सुलेशन प्रतिरोध, समाप्ति की जकड़न के आधार पर तारों /केबल आकारों की पर्याप्तता की समीक्षा।
7. विद्युत दुर्घटनाओं की समीक्षा करना, ताकि यदि कोई दुर्घटना घटित हुई हो, **तो** दुर्घटना के मूल कारण की पहचान की जा सके, शाखा द्वारा किए गए निवारक रखरखाव की समीक्षा की जा सके, तथा लागू मानकों के अनुसार सिफारिशें सुझाई जा सकें।
8. आईएस 3043 के आधार पर संयंत्र में भू-सम्पर्कन प्रणाली (स्थापना एवं रखरखाव) का मूल्यांकन करना तथा भू-प्रतिरोध के मापन सहित सिफारिशें सुझाना।
9. मुख्य स्विच, डीबी, स्विच बोर्ड आदि पर किसी भी ढीले संपर्क को खोलना और जांचना। शाखा की लोड आवश्यकता के लिए क्षमता में पर्याप्तता के लिए यूपीएस और बैटरी का निरीक्षण करना।
10. एयर कंडीशनर, यूपीएस, जेनरेटर आदि जैसे उपकरणों के साथ विद्युत वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता। यह जांच करना कि क्या इन वस्तुओं का एएमसी उचित विक्रेताओं/ओईएम के पास है।
11. उचित भार संतुलन के साथ यह मूल्यांकन करना कि मांग भार स्वीकृत भार के भीतर है या नहीं।
12. एटीएम और यूपीएस/सिस्टम रूम के संचालन का सत्यापन एयर कंडीशनर टाइमर के साथ प्रदान किए जाते हैं।
13. रिपोर्ट में विद्युत अग्नि सुरक्षा के संबंध में आपकी टिप्पणियां तथा मौजूदा सुरक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए विभिन्न उपाय सुझाए जाने चाहिए ताकि किसी भी अग्नि घटना को रोका जा सके।
14. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अनुलग्नक-I और II के अनुसार सभी जुड़े उपकरणों का विवरण, शाखा परिसर का लेआउट **ड्रॉ**इंग (स्केल के अनुसार नहीं) शामिल होना चाहिए, जिसमें बीएम केबिन, बैंकिंग हॉल, यूपीएस रूम, लॉकर रूम, स्ट्रांग रूम, डाइनिंग हॉल आदि जैसे क्षेत्रों का विभाजन दिखाया गया हो, साथ ही प्रमुख विद्युत उपकरणों, एमएसबी, डीबी, यूपीएस, एटीएम आदि का स्थान, मौजूदा विद्युत प्रणाली का सिंगल लाइन डायग्राम (एसएलडी) (ऊर्जा मीटर से लेकर उप डीबी जैसे एलडीबी, पीडीबी आदि तक) और गंभीर दोषों की स्थिति, जिन पर तुरंत ध्यान देने / सुधार की आवश्यकता है, को एसएलडी में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।
15. एचटी ट्रांस**फॉ**र्मर, सबस्टेशन, मुख्य पैनल, लोड ब्रेक स्विच, डीजी सेट, लिफ्ट, यूपीएस (यदि कोई हो) की मौजूदा स्थिति की समीक्षा।
16. लेखा परीक्षक को शाखा के नाम के सामने ली गई फोटो की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
17. लेखापरीक्षा शुल्क बिलिंग और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से,
18. यदि एक ही भवन में विभिन्न कार्यालयों के लिए अलग-अलग विद्युत मीटर उपलब्ध हैं, तो प्रत्येक उपभोक्ता को विद्युत भार के अनुसार अलग इकाई माना जाना चाहिए तथा प्रत्येक कार्यालय के लिए अलग-अलग लेखा परीक्षा शुल्क बिल के साथ प्रत्येक कार्यालय को अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।
19. यदि एक ही इमारत में विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों के लिए एक ही मीटर (एचटी या एलटी) है, तो उस इमारत में 2000 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले प्रत्येक कार्यालय के लिए और उनके कनेक्टेड लोड के अनुसार अलग-अलग **लेखपरीक्षा** रिपोर्ट तैयार करके जमा की जानी चाहिए। सीएसी (मुद्रा प्रशासन) सेल आदि जैसे कार्यालयों के लिए, जो 2000 वर्ग फुट से कम जगह घेरते हैं लेकिन सामान्य कनेक्शन के अंतर्गत हैं, अलग **लेखपरीक्षा** रिपोर्ट जमा करनी होगी। लेकिन **लेखपरीक्षा** शुल्क बिलिंग के उद्देश्य से, 2000 वर्ग फुट से अधिक के सभी कार्यालयों के लिए उनके वास्तविक कनेक्टेड लोड के अनुसार अलग से बिलिंग की जानी है। सीएसी जैसे छोटे कार्यालयों के लिए, यह उस मंजिल पर स्थित शाखा/कार्यालय का हिस्सा होगा और **लेखपरीक्षा** शुल्क के लिए अलग से कोई बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है।

यदि सामान्य कनेक्शन एचटी कनेक्शन है और उसका अपना सबस्टेशन है, तो सबस्टेशन विद्युत सुरक्षा **लेखपरीक्षा** केवल मुख्य कार्यालय/शाखाओं की **लेखपरीक्षा** रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन **लेखपरीक्षा** शुल्क का बिल प्रत्येक कार्यालय के लिए कनेक्टेड लोड के अनुसार श्रेणी**वर** होगा। जिन शाखाओं में ऑन-साइट एटीएम हैं, उनके एटीएम कियोस्क **की** विद्युत सुरक्षा **लेखपरीक्षा** भी शाखा/कार्यालय के किसी भी संलग्न ऑन-साइट एटीएम के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या लागत **के की जाए।** एटीएम से संबंधित टिप्पणियों को दिए गए प्रारूप के अनुसार संबंधित शाखा/कार्यालय **की** विद्युत सुरक्षा **लेखपरीक्षा** में शामिल किया जाना है।

1. वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं, विद्युत नियमों आदि के संबंध में कार्यालय में विद्युत खतरों को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा सुरक्षा उपायों, प्रक्रियाओं और प्रणाली का अध्ययन करना तथा किसी भी कमी की स्थिति में आगे के उपायों के लिए सुझाव देना।
2. एचटी पैनल से फ्लोर पैनल / डीबी तक विद्युत स्थापना के ले आउट **ड्रॉ**इंग और सिंगल लाइन डायग्राम (एसएलडी) की तैयारी, जिसमें ट्रांस**फॉ**र्मर, मुख्य एलटी पैनल, कैपेसिटर पैनल, डीजी सेट, यूपीएस पैनल, एलडीबी, पीडीबी आदि शामिल हों। एसएलडी में उपकरण, स्विच गियर, केबल (जहां भी संभव हो) आदि की रेटिंग दर्शाई जानी चाहिए।
3. पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण
4. सभी भू-गड्ढों पर भू-प्रतिरोध को मापने के लिए भू-प्रतिरोध परीक्षण किया जाएगा तथा भारतीय विद्युत नियमों के अनुपालन की जांच की जाएगी।
5. संबंधित विद्युत उपकरण के अर्थ टर्मिनल से अर्थ स्ट्रिप/कंडक्टर की निरंतरता की जांच और सत्यापन किया जाएगा।
6. भार के किसी भी असंतुलन की पहचान। विद्युत संस्थापन जैसे ट्रांस**फॉ**र्मर, एलटी पैनल, आपातकालीन पैनल, फ्लोर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आदि में असंतुलन/अतिभार, यदि कोई हो, तो उसे मापने वाले उपकरणों की सहायता से पहचाना जाएगा।
7. थर्मल कैमरा का उपयोग करके हॉट स्पॉट की पहचान: विद्युत स्थापना पैनलों और वितरण बोर्डों में हॉट स्पॉट, यदि कोई हो, की पहचान थर्मल इमेजिंग/थर्मोग्राफी की मदद से की जाएगी।
8. ट्रांस**फॉ**र्मर, एचटी/एलटी स्विचगियर के उचित कामकाज और उनके सुरक्षात्मक **प्रसारण** के उचित कामकाज, सर्किट ब्रेकरों के फेलसेफ इंटरलॉकिंग के लिए ओईएम या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किए गए परीक्षण रिपोर्टों के रिकॉर्ड की जांच करना।
9. विद्युत आपूर्ति के स्रोतों जैसे ट्रांस**फॉ**र्मर, सबस्टेशन उपकरण, डीजी सेट, यूपीएस स्थापनाएँ और संबंधित विद्युत वितरण विद्युत स्थापनाएँ, जिनमें सर्वर रूम के लिए विद्युत आपूर्ति प्रणालियाँ और वायरिंग, आईटी उपकरण आदि शामिल हैं, का भौतिक निरीक्षण लागू भारतीय मानकों, भारतीय विद्युत नियमों और अन्य प्रासंगिक आचार संहिताओं के संदर्भ में किया जाएगा। ट्रांस**फॉ**र्मर, कैपेसिटर बैंकों में तेल का रिसाव, डीजी सेटों में डीजल/पानी/तेल, एसी प्लांट में तेल/रेफ्रिजरेंट का रिसाव, लिफ्ट **शॉ**फ्ट में पानी का रिसाव, किसी भी विद्युत उपकरण पर पानी का रिसाव आदि की जाँच की जानी चाहिए।
10. विद्युत खतरों जैसे ढीले लटकते तार, ठीक से तैयार न किए गए केबल, टूटे हुए स्विच, प्लग और सॉकेट आदि की पहचान की जाए।
11. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्विचगियर्स में सुरक्षा उपकरणों और उनकी सेटिंग्स की जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वांछित श्रेणीबद्ध तरीके से हैं, जैसा कि मौजूदा मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया गया है, जिसमें ईएलसीबी की सेटिंग/पर्याप्तता और **अर्थ** रिसाव संरक्षण के लिए उनकी रेटिंग शामिल है।
12. भवन की बिजली सुरक्षा प्रणाली का निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि बिजली अवरोधक दो अलग-अलग भू-गड्ढों से जुड़े हों। इन गड्ढों को विद्युत प्रणाली **के** भू-गड्ढों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
13. विद्युत उपकरणों एवं सबस्टेशन के पास हिंदी एवं स्थानीय भाषा में विद्युत आघात उपचार चार्ट की उपलब्धता की जाँच करना। विद्युत कर्मचारियों को विद्युत सुरक्षा, आघात उपचार, आपात स्थिति से निपटने एवं कृत्रिम श्वसन पर दिए गए प्रशिक्षण के अभिलेखों की जाँच करना।
14. विद्युत दुर्घटनाओं के लॉग की जांच करना।
15. विद्युत स्थापना के प्रमुख स्थान पर वोल्टेज को दर्शाने वाले खतरे के संकेत बोर्ड के प्रावधान की जांच करना।
16. **फेस** और **अर्थ** **फॉल्ट** से बचने के लिए विभिन्न पैनल और वितरण बोर्डों पर केबल समाप्ति की जाँच करना।
17. सभी घूर्णनशील विद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षात्मक गार्ड और बेल्ट कवर के प्रावधान की जांच करना।
18. सभी विद्युत प्रतिष्ठानों के पास अग्निशमन उपकरणों और अग्नि अलार्म सिस्टम डिटेक्टरों की उपलब्धता की जाँच करना। यह सुनिश्चित करना कि विद्युत सबस्टेशन और विद्युत पैनल स्थानों के पास मुक्त प्रवाह वाली रेत से भरी अग्नि बाल्टियाँ और डीसीपी/सीओ2 अग्निशामक यंत्र उपलब्ध हों।
19. प्राथमिक चिकित्सा बक्सों की उपलब्धता का सत्यापन करना तथा समय-समय पर समाप्त हो चुकी दवाओं को बदलना।
20. सभी विद्युत पैनलों के सामने आईएसआई मार्क के इंसुलेटेड मैट की व्यवस्था की जांच करना।
21. सबस्टेशन, ट्रांस**फॉ**र्मर कक्ष, विद्युत पैनल कक्ष और बैटरी कक्ष आदि में उचित वेंटिलेशन के प्रावधान की जांच करना।
22. उपरोक्त के अतिरिक्त, मौजूदा विद्युत प्रणालियों में किसी भी कमी की जाँच करना जो मानव और अग्नि सुरक्षा पर प्रभाव डालती हो**।**

**बी) ऊर्जा लेखापरीक्षा**

* स्वीकृत भार और उपयोगित भार (बिलिंग मांग)
* वित्तीय वर्ष अवधि (जैसे: 01.04.2024 से 31.03.2025) के लिए बिजली की खपत और पिछले वर्ष के साथ तुलना।
* संबंधित मीटर रीडिंग भी दर्ज की जा**ए**।
* टैरिफ विश्लेषण सहित 12 महीनों के लिए ऊर्जा बिल विश्लेषण।
* रोशनी और प्रकाश लक्स स्तर, जुड़नार के प्रकार एलईडी।
* ऊर्जा बचत के अवसरों की पहचान: परिसर में स्थापित सभी उपकरणों, गैजेट्स, यूपीएस, एसी पंप, हीटर आदि की सूची।
* शाखा/कार्यालय में स्थापित एसी की संख्या, टन भार और कुल टन भार।
* एसी स्टार रेटिंग या आईएसईईआर रेटिंग, पर्यावरण अनुकूल गैस का प्रकार (आर410 या आर 404), आर-22 वाली कोई भी मशीन का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

**IV. वैधानिक आवश्यकताएँ:**

1. भवन और विद्युत प्रतिष्ठानों **की** विद्युत सुरक्षा **लेखापरीक्षा** (ईएसए) लागू भारतीय मानक, भारतीय विद्युत नियमों (आईई) और अन्य प्रासंगिक कार्यप्रणाली संहिताओं के संदर्भ में **की जाएगी** ताकि दुर्घटनाओं को रोकने या न्यूनतम करने हेतु संभावित विद्युत खतरों की पहचान की जा सके। निरीक्षण और डेटा संग्र**हण** के लिए क्षेत्रीय दौरों के दौरान अंशांकित उपकरणों और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके **लेखापरीक्षा** **की जानी** चाहिए। **लेखापरीक्षा** के दौरान, **लेखापरीक्षा** टीम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईई अधिनियम के अनुसार आईई नियमों के अन्य प्रावधानों के अलावा, आईई अधिनियम के पैरा 29 में निहित प्रावधानों का भी पालन किया जाए, जो विशेष रूप से निम्नलिखित हैं:

पैरा 29:- विद्युत आपूर्ति लाइनों और उपकरणों का निर्माण, स्थापना, संरक्षण, संचालन और रखरखाव 1. सभी विद्युत आपूर्ति लाइनें और उपकरण शक्ति, इन्सुलेशन और अनुमानित **फॉल्ट करंट** के लिए पर्याप्त रेटिंग के होंगे और स्थापना की पर्यावरणीय परिस्थितियों के तहत उन्हें जो कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है, उसके लिए पर्याप्त यांत्रिक शक्ति के होंगे, और उनका निर्माण, स्थापना, संरक्षण, संचालन और रखरखाव इस तरह से किया जाएगा जिससे 2 [मानव, पशु और संपत्ति] की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

1. इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस नियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए 3[भारतीय मानक ब्यूरो] 4[राष्ट्रीय विद्युत संहिता सहित] की संगत आचार संहिता , यदि कोई हो, का अनुसरण किया जा सकेगा और किसी असंगति की स्थिति में, इन नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
2. प्रयुक्त सामग्री और उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो के प्रासंगिक विनिर्देशों के अनुरूप होंगे , जहां ऐसे विनिर्देश पहले से ही निर्धारित किए गए हैं।
3. जीएसआर 358, दिनांक 30.4.1987 द्वारा 9.5.1987 से प्रतिस्थापित।
4. जीएसआर 45, दिनांक 1.1.1993 द्वारा 23.1.1993 से प्रतिस्थापित।
5. जी.आर. 466, दिनांक 18.7.1991 द्वारा 17.8.1991 से प्रतिस्थापित।

प्रासंगिक आचरण संहिताएँ:

कुछ प्रासंगिक आचरण संहिताएं नीचे दी गई हैं:

1. भारतीय विद्युत नियम, 1956 (आज तक संशोधित)
2. आईएस: 5216 (भाग-I) विद्युत कार्यों में सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं पर सिफारिशें
3. आईएस: 5216 (भाग-II) विद्युत कार्यों में सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं पर सिफारिशें
4. आईएस: 1646-1961 अग्नि सुरक्षा के लिए अभ्यास संहिता (सामान्य): विद्युत कार्य
5. आईएस: 4770: 1968 – विद्युत प्रयोजन के लिए रबर के दस्तानों के विनिर्देश
6. आईएस: 2309 इमारतों और संबद्ध संरचनाओं का बिजली से संरक्षण
7. सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपायों के लिए विनियमों के संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी 20 सितंबर 2010 की राजपत्र अधिसूचना।
8. राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 (आज तक संशोधित)
9. कोई अन्य स्थानीय दिशानिर्देश / उपनियम जो लागू हों।

बैंक के कार्यालय भवन में विद्युत प्रतिष्ठानों का विवरण:

सबस्टेशन, ट्रांस**फॉ**र्मर, स्विचगियर, विद्युत पैनल, कैपेसिटर पैनल, वितरण बोर्ड, वितरण सर्किट, विद्युत वायरिंग जिसमें बिजली, प्रकाश और पंखा सर्किट शामिल हैं, जिसमें अर्थिंग, भवन और उपकरण अर्थिंग, विभिन्न प्रकार के मोटर्स, डीजी सेट, यूपीएस, **सेन्ट्रल** एयर कंडीशनिंग प्लांट, रूम एयर कंडीशनर, एयर हैंडलिंग यूनिट, लिफ्ट, लाइटनिंग अरेस्टर, रसोई उपकरण, पानी पंप, सर्वर, स्विच, पीसी, प्रिंटर और अन्य आईटी उपकरण और बिजली की आपूर्ति से जुड़े कोई अन्य उपकरण और गैजेट जो आग के खतरे से ग्रस्त हैं।

**उपकरण/मापने के यंत्र**

विद्युत सुरक्षा **लेखापरीक्षा** के लिए आवश्यक सभी उपकरण/यंत्र फर्म को बैंक को कोई अतिरिक्त भुगतान किए बिना स्वयं ही उपलब्ध कराने होंगे। फर्म के पास विद्युत सुरक्षा **लेखापरीक्षा** के लिए निम्नलिखित न्यूनतम उपकरण/यंत्र होने चाहिए:

* तीन-चरण शक्ति विश्लेषक
* थर्मोग्राफी कैमरा
* **अर्थ** परीक्षक
* मेगर
* कोई अन्य उपकरण/यंत्र

कृपया ध्यान दें कि बैंक किसी भी प्रकार की सहायता व्यक्ति/सामग्री के रूप में उपलब्ध नहीं कराएगा तथा फर्म को सभी प्रकार की सहायता की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

**साइट पर** कार्य

फर्म परिसर का दौरा कर सकती है और कार्यस्थल की स्थिति का पता लगा सकती है। कार्य बैंक के सामान्य कामकाज में किसी भी प्रकार की असुविधा पैदा किए बिना, एक कार्यरत कार्यालय भवन में किया जाना चाहिए। कार्यालय समय के दौरान बिजली बंद नहीं की जाएगी। कार्य के लिए आवश्यक बिजली बंद बैंक के विवेकानुसार छुट्टियों और कार्यालय समय के बाद **की** जाएगी। इन आधारों पर बाद में कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

फर्म को ऐसे कार्यों के लिए केवल योग्य और अनुभवी इंजीनियरों/तकनीशियनों को ही नियुक्त करना चाहिए जिनके पास आवश्यक लाइसेंस हों। फर्म को कार्य करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यक्तियों और संपत्तियों को कोई नुकसान न हो। बैंक किसी भी व्यक्ति को हुई चोट या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसी किसी भी घटना की पूरी ज़िम्मेदारी फर्म की होगी। विद्युत सुरक्षा **लेखापरीक्षा** करने वाले व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का भी उपयोग करना होगा।

**रिपोर्ट प्रस्तुत करना**

**लेखापरीक्षा** पू**री** होने के बाद, बैंक के इंजीनियरों के साथ एक **लेखापरीक्षा के बाद** समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें उनकी टिप्पणियों का विवरण दिया जाएगा। **लेखापरीक्षा** रिपोर्ट में सुरक्षा **लेखापरीक्षा** के दौरान **लेखापरीक्षा** टीम द्वारा देखी गई संपूर्ण विद्युत स्थापना की स्थिति शामिल होगी। रिपोर्ट में विद्युत स्थापनाओं में सुधार के लिए **लेखापरीक्षा** टीम की सिफारिशें भी शामिल होंगी।

**V.** सेन्ट्रल **बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑफर खोलना**

विक्रेताओं की तकनीकी निविदाएँ निविदा खुलने की तिथि या सूचित तिथि पर खोली जाएँगी। सफल विक्रेताओं के वाणिज्यिक निविदा प्रस्ताव बैंक द्वारा निर्धारित/विक्रेताओं को सूचित तिथि पर खोले जाएँगे।

**VI. प्रारंभिक जांच**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह निर्धारित करने के लिए प्रस्तावों की जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, क्या प्रस्ताव में कोई त्रुटि हुई है, क्या आवश्यक तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, क्या दस्तावेजों पर उचित हस्ताक्षर किए गए हैं, और क्या मदें अनुसूची के अनुसार उद्धृत की गई हैं।

**सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया अपने विवेकानुसार, किसी प्रस्ताव में किसी भी छोटी-मोटी गैर-अनुरूपता या किसी भी छोटी-मोटी अनियमितता को माफ कर सकता है। यह सभी विक्रेताओं पर बाध्यकारी होगा और **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया ऐसी छूट का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**VII. प्रस्तावों का स्पष्टीकरण**

प्रस्तावों की जांच, मूल्यांकन और तुलना में सहायता के लिए, **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया अपने स्तर पर, अपने विवेकानुसार, कुछ या सभी विक्रेताओं से उनके प्रस्ताव के बारे में स्पष्टीकरण मांगें। ऐसे स्पष्टीकरण का अनुरोध और प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होगी।

**VIII. न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं**

**सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया इस निविदा सूचना के प्रति प्रतिक्रिया **में** किसी भी शर्त के तहत प्राप्त न्यूनतम या किसी अन्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और देर से प्राप्त प्रस्तावों या अधूरे प्रस्तावों सहित किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने **हेतु अधिकृत** होगा। **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया शर्तों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और खरीद की शर्तें। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैठक करने और चर्चा करने के लिए बाध्य नहीं होगा किसी भी निविदाकर्ता के साथ, और या किसी भी अभ्यावेदन को सुनने के लिए।

**IX. उपकरण का ब्रांड और मॉडल**

तकनीकी विनिर्देश की पुष्टि में सभी उपकरणों का मेक, मॉडल और पार्ट नंबर देना अनिवार्य इसके लिए उत्तरदायी होगा। प्रस्तावित वस्तु**ओं के** ब्रांड, मॉडल और पार्ट नंबर प्रस्तुत न करने या आंशिक रूप से प्रस्तुत करने की स्थिति में प्रस्ताव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और/या **इसे** अस्वीकृ**त किया जा सकता है।** कृपया ध्यान दें कि इस जानकारी को केवल ब्रांड नाम से बदलना पर्याप्त नहीं है। बैंक अपने विवेकानुसार सिस्टम का यादृच्छिक तकनीकी मूल्यांकन या परीक्षण करवा सकता है।

X. वैकल्पिक प्रस्ताव

प्रत्येक प्रस्ताव में केवल एक ही समाधान निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जो लागत-प्रभावी हो और निविदा की शर्तों को पूरा करता हो तथा इसमें विकल्प शामिल नहीं होने चाहिए।

XI. स्थान

यह निविदा **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय मुंबई द्वारा जारी की जा रही है। **इस निविदा के माध्यम से खरीदी जा रही यूपीएस प्रणाली को ऑर्डर प्राप्त करने वाले विक्रेता द्वारा पूरे भारत में स्थित विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं के लिए स्थापित और चालू किया जाएगा।** बैंक यूपीएस को आवश्यकतानुसार किसी अन्य स्थान पर ले जा सकता है तथा विक्रेता को नए स्थान पर वारंटी जारी रखनी होगी।

XII. लागत और मुद्रा

बोली में समग्र प्रस्ताव मूल्य केवल भारतीय रुपए में ही होना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. यूपीएस प्रणाली की लागत.
2. **इंस्टॉलेशन**, परीक्षण और कमीशनिंग शुल्क, करों और स्थानीय शुल्कों को छोड़कर।
3. यूपीएस और बैटरियों दोनों के सभी पुर्जों और श्रम को कवर करते हुए न्यूनतम 24 **माह** की व्यापक ऑन-साइट वारंटी। यह अवधि **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सभी उपकर**णों के** **इंस्टॉलेशन** और स्वीकृति की तिथि से शुरू होगी। सिस्टम की संतोषजनक कमीशनिंग।
4. साइट तक परिवहन और अग्रेषण शुल्क।
5. साइट पर **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया में उपकरण की स्थापना और उसे **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया को सौंपने तक उपकरण को कवर करने के लिए बीमा।
6. विक्रेता को यूपीएस सिस्टम के लिए एक वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए अथवा आपसी सहमति से एक वर्ष के लिए बढ़ाए जाने पर निश्चित मूल्य उद्धृत करना होगा।
7. सभी लागतें आंकड़ों और शब्दों में दी जानी चाहिए।

XIII. बिलिंग

बिलिंग संबंधित शाखाओं में की जानी चाहिए। इनवॉइस (जीएसटी) में करों का उल्लेख संबंधित एचएसएन कोड के साथ अलग से किया जाना चाहिए।

XIV. विक्रेता को निम्नलिखित मूल्य उद्धृत करना होगा

वाणिज्यिक प्रस्ताव एक निश्चित मूल्य के आधार पर होगा, जहाँ इकाई मूल्य में सभी कर शामिल होने चाहिए, और उत्पाद भारत में निर्मित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद, अनुबंध की किरायेदारी अवधि के दौरान, जो कि आदेश/दर समझौते की तिथि से एक (12 **माह**) वर्ष के लिए है, मूल्य में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा ।

XV. **समझौता वार्ता** और विभाजन

विक्रेताओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे अपने हित में प्रस्ताव देते समय न्यूनतम मूल्य उद्धृत करें।

XVI. मात्रा में परिवर्तन का अधिकार

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया निविदाओं में निर्दिष्ट यूपीएस की मात्रा तय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया के पास निविदा में निर्दिष्ट वस्तुओं की सूची से एक या अधिक वस्तुओं को हटाने का अधिकार भी सुरक्षित है।

XVII. एल1 विक्रेता के अलावा अन्य को ऑर्डर देने का अधिकार:

**बैंक को अधिकार है कि वह सभी तकनीकी रूप से योग्य विक्रेताओं को ऑर्डर दे सकता है, जो अंतिम निर्णय की दिनांक से 12 माह तक की अवधि के लिए जिसे** बैंक के विवेकानुसार एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है; **समान नियमों और शर्तों के तहत बैंक द्वारा तय की गई न्यूनतम दरों पर सहमत हों।**

बैंक को यह अधिकार है कि वह संबंधित **क्लाइंट** से सीधे ही किसी भी सहायक दस्तावेज की प्रामाणिकता की जांच कर सकता है।

**निविदा के नियम और शर्तें**

1. **तकनीकी निरीक्षण और निष्पादन मूल्यांकन -** **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया चयनित विक्रेताओं द्वारा कार्य का तकनीकी निरीक्षण और निष्पादन मूल्यांकन (बेंच-मार्किंग) करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
2. बैंक आवश्यकता के आधार पर ऑर्डर देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. **भुगतान की शर्तें**

**सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया निम्नानुसार भुगतान करेगा:

सफलतापूर्वक **कार्य** पूरा होने पर, भुगतान संबंधित शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/ईएसए के स्थान पर किया जाएगा।

* कार्यालय/शाखा के ईएसए के लिए:
* ईएसए के पूरा होने के बाद 2 सप्ताह / 14 दिनों के भीतर 90% भुगतान जारी किया जाएगा, जिसे शाखा प्रमुख / कार्यालय प्रभारी द्वारा साइट पर उपयोगकर्ता / **क्लाइंट** द्वारा पूर्ण स्वीकृति और चालान जैसे सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुति के साथ विधिवत प्रमाणित किया जाएगा। बोलीदाता को चालान के साथ नामित प्राधिकारी को उपयोगकर्ता स्वीकृति की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
* शेष 10% प्रतिधारण भुगतान ईएसए लेखा परीक्षक/फर्म द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को कार्य आदेश मूल्य के 10% की निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान करने के बाद जारी किया जा सकता है, जो एक वर्ष के लिए वैध होगी।
* पीबीजी के लिए समेकित बीजी को **क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों** में रखा जा सकता है, बजाय इसके कि अलग-अलग शाखाओं में कई बीजी को प्रतिधारण के लिए रखा जाए।

1. ऑर्डर **रद्दीकरण**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से एक या अधिक स्थितियों में ऑर्डर रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:

* डिलीवरी के लिए निर्दिष्ट अवधि से अधिक डिलीवरी में देरी।
* क्रय आदेश की स्वीकृति की तिथि से 06 सप्ताह से अधिक समय तक **इंस्टॉलेशन** में विलंब।
* पूर्व-प्रेषण कारखाना निरीक्षण/साइट पर सामग्री प्राप्त होने के दौरान यूपीएस प्रणाली/मशीन में गंभीर विसंगति/क्षति देखी गई।

1. **स्वीकृति परीक्षण**

**सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया के विवेक पर, ईएसए के लिए निरीक्षण परीक्षण बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर साइट पर यादृच्छिक रूप से आयोजित किया जाएगा। निरीक्षण करने के लिए **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

1. वा**रंटी**

प्रस्ताव में ईएसए की तिथि और **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति से 12 **माह** की व्यापक ऑन-साइट वारंटी शामिल होनी चाहिए। उक्त अवधि के दौरान किसी भी आग लगने की स्थिति में, ईएसए विक्रेता नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।

1. **देरी के लिए जुर्माना**

**यूपीएस प्रणाली का इंस्टॉलेशन और चालू करने में किसी भी देरी के लिए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिए अनुबंध/बिल राशि का 0.5% जुर्माना वसूल करेगा, जो अनुबंध/बिल राशि का अधिकतम 10% होगा।**

1. क्षतिपूर्ति

विक्रेता, उसके द्वारा आपूर्ति किए गए सभी हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/नेटवर्क उपकरण आदि के संबंध में किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि या ऐसे अन्य वैधानिक उल्लंघनों के परिणामस्वरूप होने वाले सभी दावों, हानि, लागत, क्षति, व्यय, कार्रवाई मुकदमों और अन्य कार्यवाही के **विरूद्ध** **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया को क्षतिपूर्ति, सुरक्षा और बचाव प्रदान करेगा।

1. **गोपनीयता खंड**

बोलीदाता अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त किसी भी जानकारी को गोपनीय रखेगा और **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया की लिखित सहमति के बिना उसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएगा। गोपनीयता समझौते का पालन न करने की स्थिति में, **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुबंध रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया को बोलीदाता के कर्मचारियों को विनियमित करने का अधिकार होगा।

1. **प्रचार**

विक्रेता द्वारा कोई भी प्रचार जिसमें सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम उपयोग किया जाना है, केवल सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्पष्ट लिखित अनुमति से ही किया जाना चाहिए।

1. **गारंटी**

विक्रेता को यह गारंटी देनी होगी कि **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया को वितरित सिस्टम सभी घटकों सहित एकदम नए हैं।

1. **अप्रत्याशित घटना**

विक्रेता अपनी निष्पादन सुरक्षा की ज़ब्ती, निश्चित क्षति या चूक **हेतु** समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि उस सीमा तक कि निष्पादन में उसकी देरी या अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में अन्य विफलता किसी अप्रत्याशित घटना का परिणाम है। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ विक्रेता के नियंत्रण से परे एक ऐसी घटना है जिसमें विक्रेता की गलती या लापरवाही शामिल नहीं है और जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसी घटनाओं में ईश्वरीय या सार्वजनिक शत्रु द्वारा की गई घटनाएँ, भारत सरकार द्वारा अपनी संप्रभुता में की गई घटनाएँ, युद्ध की घटनाएँ, आग, बाढ़ और माल ढुलाई प्रतिबंधों के सं**बंधी** घटनाएँ **आदि** शामिल हो सकती हैं।

यदि कोई अप्रत्याशित घटना उत्पन्न होती है, तो विक्रेता को ऐसी स्थिति और उसके कारणों के बारे में बीस कैलेंडर दिनों के भीतर **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया को लिखित रूप में सूचित करना होगा। जब तक **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिखित रूप में अन्यथा/विपक्षी निर्देश न दिया जाए, विक्रेता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन यथासंभव व्यावहारिक रूप से जारी रखेगा, और अप्रत्याशित घटना से बाधित न होने वाले निष्पादन के लिए सभी उचित वैकल्पिक उपायों की तलाश करेगा।

ऐसे मामले में, निष्पादन के लिए समय को ऐसी देरी की अवधि से कम अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि देरी की अवधि तीन **माह** से अधिक समय तक जारी रहती है, तो **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया और विक्रेता समस्या का समाधान खोजने के प्रयास में एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

उपरोक्त के बावजूद, **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया का निर्णय अंतिम होगा और विक्रेता पर बाध्यकारी होगा।

1. **विवादों का समाधान**

**सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया और विक्रेता, अनुबंध के अंतर्गत या उससे संबंधित किसी भी असहमति या विवाद को सीधे अनौपचारिक **वार्ता** द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि ऐसी अनौपचारिक **वार्ता** शुरू होने के तीस दिन बाद भी, **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया और विक्रेता अनुबंध विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में असमर्थ रहते हैं, तो कोई भी पक्ष यह अनुरोध कर सकता है कि विवाद को औपचारिक मध्यस्थता द्वारा समाधान के लिए भेजा जाए।

अनुबंध के अंतर्गत या उससे संबंधित उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न, विवाद या मतभेद दो मध्यस्थों को भेजे जाएँगे: एक मध्यस्थ **सेन्ट्रल** बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नामित किया जाएगा और दूसरा विक्रेता द्वारा नामित किया जाएगा। यदि मध्यस्थ सहमत नहीं होते हैं, तो मामला मध्यस्थों द्वारा नियुक्त एक निर्णायक को भेजा जाएगा, जिसकी नियुक्ति संदर्भ से आगे बढ़ने से पहले लिखित रूप में की जाएगी। मध्यस्थों का निर्णय, और उनके सहमत न होने की स्थिति में, उनके द्वारा नियुक्त निर्णायक का निर्णय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 / प्रचलित कानूनी अधिनियम मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे और मध्यस्थता का स्थान मुंबई होगा।

**लागू कानून और न्यायालय का क्षेत्राधिकार खंड** - चयनित बोलीदाता के साथ अनुबंध उस समय लागू भारत के कानूनों के अनुसार शासित होगा और मुंबई के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा (अन्य सभी न्यायालयों को छोड़कर)

**निविदा की सामान्य शर्तें**

1. बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के मूल्यांकन हेतु उपरोक्त पात्रता मानदंड/पूर्व-योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा। उपरोक्त पात्रता/पूर्व-योग्यता शर्तों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं की बोलियों का मूल्यांकन बैंक द्वारा अपनी नीति के अनुसार ही किया जाएगा। उपरोक्त पात्रता/पूर्व-योग्यता शर्तों को पूरा न करने वाले बोलीदाताओं की बोलियाँ अस्वीकार कर दी जाएँगी। उपरोक्त किसी भी दस्तावेज़ को बाद में प्रस्तुत करने के वचन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
2. बैंक पात्रता मानदंड के उपर्युक्त खंडों के समर्थन में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सभी मूल दस्तावेजी साक्ष्यों को सत्यापित/पुष्टि करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि आवश्यक हो और बैंक द्वारा लिखित रूप में अधिसूचित अवधि के भीतर उन्हें प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. बैंक के साथ अनुबंध करने से एजेंसियों को बैंक द्वारा जारी किसी बोली, निविदा आदि में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई प्रोफ़ाइल और असाइनमेंट की आवश्यकता के आधार पर बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी क्षेत्र में बोलियां आमंत्रित करने/कार्य सौंपने/एजेंसी/एजेंसियों को संबद्ध करने का अधिकार सुरक्षित है।
4. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी या सभी अनुरोधों को स्वीकार या अस्वीकार करने या अपने विवेकानुसार **इसके किन्हीं** भागों में स्वीकार करने और एक से अधिक एजेंसियों को नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. आवेदन(आवेदनों) की स्वीकृति बैंक की ओर से किसी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं दर्शाती। इसके अतिरिक्त, आवेदन की यह स्वीकृति किसी भी आवेदन को प्रस्तावित परियोजना में भाग लेने का न तो अधिकार देती है और न ही कोई अपेक्षा।
6. बैंक किसी भी कमी को माफ करने, संपूर्ण स्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने या निविदा के किसी या सभी प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. बैंक वर्तमान और/या परिकल्पित बैंक आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी स्तर और/या समय पर नई निविदाएं आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, भले ही निविदा मूल्यांकन चरण में हो।
8. बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को संशोधित करने, विस्तारित करने, प्रतिबंधित करने, रद्द करने, पुनः जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. प्रत्युत्तरदाता को अपने प्रत्युत्तर की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित सभी लागतें वहन करनी होंगी, तथा निविदा प्रक्रिया के संचालन या परिणाम की परवाह किए बिना, बैंक किसी भी स्थिति में इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
10. किसी भी स्थिति में कंसोर्टियम और संयुक्त उद्यम की प्रतिक्रिया की अनुमति नहीं है। साथ ही, बोलीदाताओं को यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी उप-ठेके/उप-पट्टे पर विक्रेता का भारत में अपना विनिर्माण संयंत्र/सुविधा नहीं होनी चाहिए।
11. **दरें और मूल्य**
12. बोलीदाताओं को मूल मूल्यों और लागू करों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए मदवार दरें/कीमतें उद्धृत करनी चाहिए।
13. बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य सम्पूर्ण अनुबंध अवधि के लिए स्थिर रहेगा।
14. उद्धृत मूल्य स्थिर होगा और प्रस्ताव की वैधता के दौरान दरों, कीमतों या शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर उक्त बोलीदाता की बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी।
15. उद्धृत मूल्य भारत में विभिन्न स्थानों पर डिलीवरी और स्थापना के लिए होंगे। ये मूल्य गंतव्य के लिए होंगे और इनमें भारत में विभिन्न स्थानों पर डिलीवरी और स्थापना के सभी शुल्क, लेवी और **कर** शामिल होंगे। स्थान के पते आदि का सटीक विवरण रिलीज़ ऑर्डर के साथ प्रदान किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर या अंडमान जैसे दूरस्थ स्थानों या किसी अन्य मामले के लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त परिवहन सुविधा नहीं दी जाएगी।
16. सेवाओं में चूक या सेवाओं से इनकार करने की स्थिति में, बैंक अपने विवेकानुसार, आपके "जोखिम और लागत" पर अन्य सेवा प्रदाताओं की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
17. अनुबंध की सामान्य शर्तों के अन्य सभी नियम एवं शर्तें लागू होंगी।
18. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस निविदा में किसी भी प्रकार का विचलन न करें। फिर भी, यदि कोई विचलन होता है, तो बोलीदाताओं को इस निविदा दस्तावेज़ से सभी विचलनों को, खंड दर खंड, निर्धारित करना होगा और उन्हें तकनीकी बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करना होगा। कृपया ध्यान दें कि निविदा की शर्तों में विचलन होने पर, बोलियाँ अस्वीकार की जा सकती हैं।
19. यदि आवश्यक हो तो ग्राहक निर्माता की क्षमताओं का पता लगाने के लिए विनिर्माण सुविधा का दौरा कर सकता है और विक्रेता द्वारा सभी व्यवस्थाएं अपने खर्च पर वहन की जाएंगी।

**आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची (विक्रेता को नीचे दी गई सूची के अनुसार बैंक के प्रत्येक कार्यालय के सामने**

**पते/संपर्क व्यक्ति का विवरण अंकित करना होगा)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्रम सं. | | क्षेत्र | | क्रम सं. | | क्षेत्र | विक्रेता को अपने कार्यालय के साथ मैप करना | | |
| 1 | | अहमदाबाद **अंचल** | | 1 | | अहमदाबाद |  | | |
|  | |  | | 2 | | बड़ौदा |  | | |
|  | |  | | 3 | | राजकोट |  | | |
|  | |  | | 4 | | सूरत |  | | |
| 2 | | भोपाल **अंचल** | | 1 | | भोपाल |  | | |
|  | |  | | 2 | | छिंदवाड़ा |  | | |
|  | |  | | 3 | | ग्वालियर |  | | |
|  | |  | | 4 | | इंदौर |  | | |
|  | |  | | 5 | | **जबलपुर** |  | | |
|  | |  | | 6 | | **सागर** |  | | |
|  | |  | | 7 | | **अंबिकापुर** |  | | |
|  | |  | | 8 | | **रायपुर** |  | | |
|  | |  | | 9 | |  |  | | |
| 3 | | **चंडीगढ़** **अंचल** | | 1 | | **चंडीगढ़** |  | | |
|  | |  | | 2 | | **जलंधर** |  | | |
|  | |  | | 3 | | **लुधियाना** |  | | |
|  | |  | | 4 | | **रोहतक** |  | | |
| 4 | | **चैन्नई अंचल** | | 1 | | **चैन्नई** |  | | |
|  | |  | | 2 | | कोयंब**टूर** |  | | |
|  | |  | | 3 | | कोच्चि |  | | |
|  | |  | | 4 | | मदुरै |  | | |
| 5 | | दिल्ली **अंचल** | | 1 | | देहरादून |  | | |
|  | |  | | 2 | | दिल्ली उत्तर |  | | |
|  | |  | | 3 | | दिल्ली दक्षिण |  | | |
|  | |  | | 4 | | जयपुर |  | | |
|  | |  | | 5 | | कोटा |  | | |
| 6 | | गुवाहाटी **अंचल** | | 1 | | बर**पे**टा रोड |  | | |
|  | |  | | 2 | | गुवाहाटी |  | | |
|  | |  | | 3 | | ऊपरी असम |  | |  |
| 7 | | हैदराबाद **अंचल** | | 1 | | बैंगलोर | |  | |
|  | |  | | 2 | | हैदराबाद | |  | |
|  | |  | | 3 | | विजयवाड़ा | |  | |
| 8 | | कोलकाता **अंचल** | | 1 | | भुवनेश्वर | |  | |
|  | |  | | 2 | | **कूचबिहार** | |  | |
|  | |  | | 3 | | दुर्गापुर | |  | |
|  | |  | | 4 | | कोलकाता(उत्तर) | |  | |
|  | |  | | 5 | | कोलकाता (दक्षिण) | |  | |
|  | |  | | 6 | | सिलीगुड़ी | |  | |
| 9 | | लखनऊ **अंचल** | | 1 | | आगरा | |  | |
|  | |  | | 2 | | गोरखपुर | |  | |
|  | |  | | 3 | | कानपुर | |  | |
|  | |  | | 4 | | लखनऊ | |  | |
|  | |  | | 5 | | मेरठ | |  | |
|  | |  | | 6 | | वाराणसी | |  | |
| 10 | | मुंबई **महानगर** **अंचल** | | 1 | | मुंबई उपनगरीय क्षेत्रीय कार्यालय | |  | |
|  | |  | | 2 | | एसएमआरओ | |  | |
|  | |  | | 3 | | पणजी | |  | |
|  | |  | | 4 | | ठाणे | |  | |
| 11 | पटना **अंचल** | | 1 | | दरभंगा | | |  | | |
|  |  | | 2 | | मोतिहारी | | |  | | |
|  |  | | 3 | | मुजफ्फरपुर | | |  | | |
|  |  | | 4 | | पटना | | |  | | |
|  |  | | 5 | | पूर्णिया | | |  | | |
|  |  | | 6 | | रांची | | |  | | |
| 12 | पुणे **अंचल** | | 1 | | अकोला | | |  | | |
|  |  | | 2 | | औरंगाबाद | | |  | | |
|  |  | | 3 | | नागपुर | | |  | | |
|  |  | | 4 | | नासिक | | |  | | |
|  |  | | 5 | | पुणे | | |  | | |